that the kits are of a standard quality and have been duly attested by them.

importing firm should submit a certificate issued by the Drug Controller or equivalent authority of the importing country stating that the manufacturer of the AIDS kits is a registered or an approved manufacturer in that country.

**सेना के हैलीकोप्टरों की दुर्घटनायें**

857. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेना के कितने हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए, उन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए और ऐसे हेलीकाप्टरों की माडल वार संख्या कितनी है ;

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं के क्या कारण थे और कितने दुर्घटनाओं के मामलों की जांच की जा रही है और इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये है; और

(ग) इन दुर्घटनाओं में मारे गये सैनिकों के परिवारों को राहत के रूप मे कितनी धनराशि प्रदान की गयी है और उन्हें जीविका का साधन प्रदान करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी०एल० बैठा)** : (क) वित्तीय वर्ष 1987 88, 1988-89 और 01 अप्रैल, से 01 जुलाई, 1989 तक की अवधि में थल सेना के चार हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुये जिनमें छः चालकों और पाच यात्रियो की मृत्यु हुई । दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकाप्टरों की माडलवार संख्या लोक हित में प्रकट नहा की जा सकती ।

(ख) दुर्घटनायें मुख्यतः सैनिकों को सहायता पहुंचाने के लिए अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर उड़ान भरने के कारण हुए । चौथी दुर्घटना को छोड़कर तीन दुर्घटनाओं के जांच अदालत के कार्य पूरे हो चुके हैं । थल सेना विमानन प्राधिकारियों ने इन दुर्घटनाओं का गहन विश्लेषण किया है और इस संबंध में सुधारात्मक उपायों के लिये अनुदेश जारी कर दिये हैं ।

(ग) सैन्य विमान में उड़ान ड्यूटी या ड्यूटी पर यात्रा करने वाले कार्मिकों के परिवारों को निम्नलिखित सहायता दी गई है:-

I. अफसर

| | |
|---|---|
| (i) सेना सामूहिक बीमा | – 3.5 लाख रुपए |
| (ii) सेना सामूहिक बीमा (अतिरिक्त उड़ान बीमा) | – 2.0 लाख रुपए (केवल चालकों के लिए) |
| (iii) अनुग्रहपूर्वक अनुदान | – 1.00 लाख रुपए |
| (iv) बढ़ी हुई दरों पर विशेष पेंशन | . . |

II. जूनियर कमीशन अफसर/अन्य रैंक

| | |
|---|---|
| (i) सेना सामूहिक बीमा | – 1.5 लाख रुपए |
| (ii) अनुग्रहपूर्वक अनुदान | – 1.00 लाख रुपए |
| (iii) बढ़ी हुई दरों पर विशेष पेंशन | . . |

उपयुक्त सहायता थलसेना मुख्यालय में कल्याण निधियों से दिए गए अन्य वित्तीय लाभों और वित्तीय सहायता/अनुदानों के अलावा है